

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ11(164) सान्याअवि/देयो/आर.मार्गद./2017/ 43773 जयपुर, दिनांक : 27-07-2017

विषय:- परिपत्र क्रमांक: एफ:11(164) सान्याअवि/देयो/आर.मार्गद./2017/41450 दिनांक 18.07.2017 एवं 42350 दिनांक 20.07.2017 के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा 5 जातियों [1. बंजारा,बालदिया, लबाना 2. गाडिया- लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] को देवनारायण योजनान्तर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ11(164) सान्याअवि/देयो/आर.मार्गद./2017/41450 दिनांक 18.07.2017 द्वारा उक्त 5 जातियों को देवनारायण योजनान्तर्गत निरन्तर रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से उक्त जातियों को एक विशेष समूह के रूप में नामित कर विभिन्न योजनाओं के ऑन-लाईन सॉफ्टवेयर में उक्त 5 जातियों को विशेष समूह के नाम से इन्द्राज कर सम्बन्धित ऑन-लाईन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के आदेश जारी किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार देवनारायण योजना के अन्तर्गत उक्त जातियों को निरन्तर रूप से लाभान्वित किया जाएगा।

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ11(164) सान्याअवि/देयो/आर.मार्गद./2017/ 43774-925 जयपुर, दिनांक : 27-07-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन एवं मोटर गैराज विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
7. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष.....
9. समस्त जिला कलक्टर
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त).....
11. उप सचिव (देवनारायण बोर्ड), राजस्थान, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक (बीडी एवं मॉनिटरिंग), राज. को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, ओबीसी निगम, सहकार भवन, जयपुर।
14. समस्त जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास
16. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने बाबत।

अतिरिक्त निदेशक (देव.यो.)